न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,जमवारामगढ बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
125 / 2021	24 / 09 / 2021	06 / 01 / 2022

– उनवान –

1. रामसिंह पुत्र गोवर्धन आयु 71 साल जाति रैगर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी डी–4 / 180 , सुल्तानपुरी , निठारी , नार्थ वेस्ट दिल्ली।

.,..............वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर,राजस्थान।

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा – वादी

पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने यह वादपत्र घोषणा खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरस्ती विरूद्ध प्रतिवादी के इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6100 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.2400 हैक्टेयर ग्राम सुन्दरपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसमें खसरा नम्बर 12 में 3/10 भाग कि एवं शेष भूमि में 1/9 भाग कि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित हैं जिसमें सहवन से वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गारधन अंकित है । जबकी वास्तविकता में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन हैं जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। सहवन से वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन लिखा गया हैं जो पूर्णतः गलत एवं असत्य हैं वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन हैं तो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। वादी एवं वादी के पिता का वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन हैं वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड , मतदाता पहचानपत्र , बैंक पासबुक, पेनकार्ड मे वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन अंकित हैं जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं जबकी ग्राम सुन्दरपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन दर्ज हैं जो कि गलत हैं।

..........................2

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

वादी एवं वादी के पिता का वास्तविकता में नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में रामसहाय पुत्र गोरधन अंकित कर दिया हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ ग्राम सुन्दरपुरा कि जमाबन्दी में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन अंकित हैं को दुरूस्त कर वादी एवं वादी के पिता का वास्तवीक नामं रामसिंह पुत्र गोवर्धन अंकित किया जाना आवश्यक हैं। वादी ने उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार जी जमवारामगढ़ को दिनांक 21—09—2021 को निवेदन किया जिस पर तहसीलदारजी ने निर्देश दिये एवं कहां कि यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ में इस के लिए वादपत्र पेश कर के ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं इस कारण यह वादपत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम ग्राम सुन्दरपुरा के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6100 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.2400 हैक्टेयर में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन को दूरूस्त कर रामसिंह पुत्र गोवर्धन घोषित किया जाकर अंकित किया जावे।

वादपत्र वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 30—09—2021 को प्रतिवादी कि तलबी कि गई दिनांक 03/01/2021 को प्रतिवादी सं. 1 कि ओर. से भी जवाब रिर्पोट पेश किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड पर है। संलग्न मौका जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। वक्त मौका जॉच मजमेआम में वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में वादी का नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन जाति रैगर अंकित हैं। वादी स्वयं सिद्ध करें। दुरूस्ती किये जाने योग्य हैं। बिन्दू सं. 6 से 9 रिपोर्ट वादी स्वयं से सम्बन्धित हैं। निष्कर्षतः— मजमेआम में वक्त मौका जॉच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत पहचान सम्बन्धि दस्तावेजात् से स्पष्ट हैं कि वादी का वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र गोवर्धन जाति रैगर हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर रामसिंह पुत्र गोवर्धन किया जाना उचित हैं। दिनांक 23/12/2021 को वादपत्र के समर्थन में घासीराम पुत्र गोवर्धन ने वादपत्र के समर्थन में स्वतन्त्र गवाह के रूप में एक शपथपत्र प्रस्तुत कियां जो शामिल पत्रावली किया गया।

(विश्वा... मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

..........................3

बहस उभयपक्ष कि सुनी गई जिसमें वादी ने वादी द्वारा वादपत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि तथा प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जवाब व अनुसार संलग्न पटवारी रिर्पोट व फर्द मौका के अनुसार वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम सुन्दरपुरा के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6100 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.2400 हैक्टेयर में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन को दूरूस्त कर रामसिंह पुत्र गोवर्धन घोषित किया जाकर अंकित किया जावे।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम सुन्दरपुरा के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6100 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.2400 हैक्टेयर में वादी एवं वादी के पिता का नाम रामसहाय पुत्र गोरधन को दूरूस्त कर रामसिंह पुत्र गोवर्धन घोषित किया जाता हैं अंकित किया जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

(विश्वामित्र ...)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़